मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक 19/01/2022

क्रमांक/125/3134/2021/सत्रह/मेडि–1/ :: डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय जिला सतना की सिविल सर्जन कार्यालय सतना में पदस्थी के दौरान संचालनालय की विज्ञप्त शाखा से आदेश कमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल.5/2020/623, दिनांक 28.04.2020 के द्वारा कोविड–19 के अंतर्गत ड्यूटी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय इन्दौर जिले के अधीन लगाई जाकर सिविल सर्जन सतना के आदेश दिनांक 02.05.2020 द्वारा इन्हें कार्यमुक्त किया गया था। डॉ. सिंह दिनांक 02.05.2020 से दिनांक 08.11.2020 तक कुल 191 दिवस के चिकित्सा अवकाश पर थे।

2/ डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय जिला सतना द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.04.2020 के अनुक्रम में अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर के समक्ष नहीं दिए जाने के कारण संचालनालय के आदेश दिनांक 29.05.2020 द्वारा डॉ. सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डॉ. सिंह द्वारा उपरोक्त कारण बताओं सूचना पत्र के प्रतिउत्तर दिनांक 01.06.2020 में यह दर्शाया है कि वह विगत कई वर्षो से लम्बर स्पाईन्डोलाईसिस बीमारी से ग्रसित हैं, एवं कमर से झुकना, टर्निग करना तथा सड़क से होने वाले जर्को से बचाव का सुझाव अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा दिया गया है। उक्त बीमारी के बढने के कारण उन्हें दिनांक 01.05.2020 को अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा सात दिवस के आराम की सलाह दी गई थी, इसके बावजूद भी सी.एम.एच.ओ.सतना द्वारा उन्हें दिनांक 02.05.2020 को कार्यमुक्त कर दिया गया।

3/ डॉ.सुधीर सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रतिवाद उत्तर पर सी.एम.एच.ओ. सतना का अभिमत प्राप्त किया गया। उनके द्वारा लेख किया है कि डॉ.सिंह से संभागीय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र चाहा गया था। उनके द्वारा परीक्षण कराकर प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर यह स्पष्ट है कि डॉ. सिंह उपरोक्त बीमारी से ग्रसित हैं परन्तु वह सामान्य डयूटी किए जाने के लिए संभागीय मेडिकल बोर्ड से अभिमत के आधार पर फिट है।

4/ डॉ. सुधीर सिंह द्वारा कोविड–19 जैसी परिस्थितियों के दौरान शासकीय निर्देशों की अवहेलना की गई। डॉ. सिंह अस्थि रोग विशेषज्ञ के परामर्श से सात दिवस आराम करने के पश्चात इन्दौर में डयूटी कर सकते थे, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फलस्वरूप संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश दिनांक 14.08.2020 द्वारा डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन जिला सतना के विरूद्व म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत उनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है।

5/ डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन जिला सतना द्वारा संचालनालय के उक्त दण्डादेश दिनांक 14.08.2020 के विरूद्व राज्य शासन को अपील प्रस्तुत की जाकर उनके विरूद्व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी दण्डादेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। डॉ. सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलीय अभ्यावेदन में यह लेख किया है कि वे वर्ष 2010 से लगातार परिवार नियोजन कैम्पों में विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला नसबंदी (एल.टी.टी.) करते रहे हैं। इस कारण उन्हें लम्बर स्पाईन्डोलाईसिस बीमारी एवं कमर से झुकना, टर्निग करना तथा सड़क से होने वाले जर्को की बीमारी हो गई है। उन्हें विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा परीक्षण उपरान्त यह सलाह दी गई थी कि वे सड़क मार्ग से कम से कम यात्रा करें और सड़क पर होने वाले झटकों से बचाव रखें।

6/ डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन जिला सतना द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त अपीलीय अभ्यावेदन में दर्शाये गये तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा डॉ. सिंह के उक्त अपीलीय अभ्यावेदन को मान्य करते हुए, संचालनालय द्वारा जारी दण्डादेश दिनांक 14.08.2020, जिसके द्वारा इनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी गई है, को पूर्ण विचारोपरांत निरस्त करते हुए डॉ. सिंह को पात्रतानुसार 191 दिवस के चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(सीमा डेहरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक / 126 / 3134 / 2021 / सत्रह / मेडि–1 / भोपाल, दिनांक 19 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,म.प्र,मंत्रालय, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला सतना / इन्दौर।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सतना / इन्दौर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना, म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा / इन्दौर।
8. डॉ. सुधीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय सिविल सर्जन जिला सतना।
9. स्टाफ फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग